राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

[National Security Act, 1980]

(अधिनियम सं० 65 वर्ष 1980)

[*दिनांक 27-11-1980*]

विषय-सूची

धारा

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार
2. परिभाषायें
3. विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति
4. निरोधादेश का निष्पादन
5. निरोधादेश की परिस्थितियाँ और स्थान को नियन्त्रित करने की शक्ति

5-क. निरोध के आदेशों का पृथक्कीकरण होना

6. कुछ आधारों पर निरोधादेश अप्रवर्तनीय या अवैध नहीं होगा
7. फरार व्यक्ति के सम्बन्ध में शक्तियाँ

धारा

8. आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना
9. सलाहकार बोर्ड का गठन
10. सलाहकार बोर्ड को निर्देश
11. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया
12. सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही
13. निरोध की अधिकतम अवधि
14. निरोधादेश को रद्द करना
15. निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति
16. सद्भावना में किये गये कार्य का संरक्षण

16-क. राज्य विधियों में अधीन निरोध होने पर अधिनियम का प्रभावकारी नहीं होना

17. निरसन और व्यावृत्ति

किन्हीं विशेष प्रकरणों में एवं तत्सम्बन्धित प्रकरणों में निवारक निरोध के उपबन्ध हेतु यह अधिनियम

उद्देशिका

टिप्पणी—यह अधिनियम संवैधानिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा 22 का उल्लंघन नहीं करता—*ए०के० राय बनाम भारत संघ* ए०आई०आर० 1982 एस०सी० 710।

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार-क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर होगा।

2. परिभाषायें—इस अधिनियम के जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "समुचित सरकार" का अर्थ है केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये निरोधादेश का विषय या ऐसे आदेश के अधीन एक निरुद्ध व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ एक प्राधिकारी द्वारा बनाये गये निरोधादेश का विषय या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति का विषय, राज्य सरकार;

(ख) "निरोधादेश" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन बनाये गये आदेश से है;

(ग) "विदेशी" का वही तात्पर्य है जो वैदेशिक अधिनियम, 1946 में है;

(घ) 'व्यक्ति' शब्द में विदेशी निहित है;

(ङ) 'राज्य सरकार' एक संघीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जहाँ प्रशासक हो, वहाँ उससे सम्बन्धित है।

3. विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार—

(क) यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सन्तुष्ट है, भारत की प्रतिरक्षा की, किसी हानिकारक कार्य को रोकने की दृष्टि से जो कि भारत की सुरक्षा वैदेशिक शक्तियों से भारत के सम्बन्ध में, या

(ख) यदि किसी भी विदेशी के बारे में इस बात से सन्तुष्ट है कि वह अपनी लगातार उपस्थिति भारत में विनियमित करने की दृष्टि से या भारत से स्वयं को भगाने की व्यवस्था करने की दृष्टि से प्रयत्न कर रहा है, इसलिए यह आवश्यक समझा जाये कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए आदेश बनाने हेतु निर्देशित करें।

(2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सन्तुष्ट है, उसे ऐसे किसी भी हानिकारक कार्य को करने से रोकने की दृष्टि से जो कि लोक-व्यवस्था बनाये रखने में बाधक हो या समाज के लिए आवश्यक सेवा और पूर्ति की व्यवस्था बनाये रखने के लिये हानिकर कार्य कर रहा हो ऐसे व्यक्ति के निरुद्ध किये जाने हेतु निर्देशित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन हेतु "समाज के लिये आवश्यक सेवाओं और पूर्ति की व्यवस्था में हानिकर कार्य से, समाज के लिये आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति व्यवस्था के लिये हानिकारक कार्य करना" शामिल नहीं है, जैसा कि चोर बाजारी एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति व्यवस्था अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में परिभाषित और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी भी आधार पर कोई भी निरोध आदेश नहीं बनाया जा सकेगा जबकि ऐसा निरोध आदेश उस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया जा सकता है।

(3) यदि किसी क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं; या होने की सम्भावना है, तो वहाँ का जिला दण्डाधिकारी या एक पुलिस कमिश्नर जिसके कि अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के किसी क्षेत्र में है एवं राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, वह एक लिखित आदेश द्वारा ऐसे किसी भी समय के लिए जो कि आदेश में उल्लिखित किया जायेगा, निर्देश दे सकती है कि अमुक जिला दण्डाधिकारी अथवा पुलिस कमिश्नर भी यदि संतुष्ट हो जैसा कि उपधारा (2) में उल्लिखित किया गया है, उक्त उपधारा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसा कर सकता है।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा निरोधादेश में उल्लिखित समयावधि प्रथम अवसर पर 3 माह से अधिक नहीं हो सकेगी लेकिन, राज्य सरकार यदि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सन्तुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है उक्त आदेश को समय-समय पर कितने भी समय तक संशोधित कर सकता है, लेकिन एक समय में समयावधि तीन मास से अधिक नहीं होगी।

(4) जब कोई आदेश किसी अधिकारी द्वारा उपधारा 3 के अन्तर्गत बनाया जाता है तब वह तत्काल राज्य सरकार को जिसके कि अधीन वह कार्यरत है उन सभी तथ्यों के साथ रिपोर्ट देगा जिन आधारों पर निरोधादेश बनाया गया है एवं अन्य जानकारी जो कि उसकी राय में प्रकरण पर असरकारक है एवं ऐसा कोई भी आदेश 12 दिन के पश्चात् प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि उसके बनाए जाने के पश्चात् इस बीच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ धारा 8 के अधीन, निरोधादेश बनाने वाले अधिकारी के निरोध के आधारों को निरोध के दिनांक से पाँच दिन के पश्चात् लेकिन दस दिन के पूर्व, यह उपधारा के संशोधन के अधीन लागू नहीं होगी कि शब्द "बारह दिन" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह दिन" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(5) जबकि एक आदेश बनाया गया है या इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, राज्य सरकार सात दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य की उन सभी आधारों की जानकारी के तथ्य देगा जिस पर कि निरोधादेश बनाया गया है एवं अन्य दूसरी जानकारी जो कि राज्य सरकार की राय में उक्त आदेश की आवश्यकता पर प्रभाव डालते हैं।

टिप्पणी—इस धारा के अधीन निरोध के वस्तुगत समाधान के अभाव में निरुद्ध छोड़े जाने का हकदार है—*पंजाब राज्य* बनाम *सुखपाल सिंह* ए०आई०आर० 1990 एस०सी० 231।

4. निरोधादेश का निष्पादन—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन गिरफ्तारी के वारण्ट के निष्पादन के लिए प्रदत्त किए गए तरीके से भारत के किसी भी स्थान में निरोधादेश का निष्पादन किया जा सकेगा।

5. निरोधादेश की परिस्थितियाँ और स्थान को नियन्त्रित करने की शक्ति—प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए निरोधादेश बनाया गया है, उत्तरदायी होगा—

(क) निरुद्ध रहने के लिए ऐसे स्थान में और परिस्थितियों के अधीन अनुशासन और व्यवस्था के प्रतिबन्धों के सहित और अनुशासनहीनता के लिये दण्ड जो उपयुक्त सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश में निर्दिष्ट हो, और

(ख) हटाये जाने के लिये निरोध के स्थान से अन्य स्थान को, भले ही उसी राज्य में या अन्य राज्यों में समुचित सरकार के आदेश द्वारा :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार के द्वारा एक राज्य से अन्य राज्य में जब तक कि अन्य सरकार की स्वीकृति न हो, व्यक्ति को हटाने के लिये आदेश नहीं बनेगा।

टिप्पणी—निरुद्ध के साथ मानवीय गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए—*ए०के० राय बनाम भारत संघ* ए०आई०आर० 1982 एस०सी० 710।

5-क. निरोध के आदेशों का पृथक्करणीय होना—जहाँ धारा 3 के अधीन निरोध के आदेश के अनुसरण में कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया हो चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा द्वितीय संशोधन, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो जो दो या अधिक आधारों पर दिया गया हो तो ऐसा निरोध का आदेश ऐसे आधारों में से प्रत्येक पर पृथक् से दिया गया समझा जायेगा और तदनुसार—

(क) ऐसा आदेश मात्र इस कारण से अवैध या अप्रवर्तनीय नहीं समझा जायेगा क्योंकि एक या कुछ आधार—

(i) अस्पष्ट हैं,

(ii) अस्तित्व में नहीं हैं,

(iii) संगत नहीं हैं,

(iv) ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित या निकटतम सम्बन्धित नहीं हैं, या

(v) अन्य किसी कारण से चाहे वह कुछ भी हो अवैध है,

और इसलिए यह अवधारित करना सम्भव नहीं है कि ऐसा आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी अवशेष आधार या आधारों के प्रति निर्देश से धारा 3 में यथा उपबन्धित रूप में सन्तुष्ट हो गये थे और तब निरोध का आदेश दिया था।

(ख) निरोध का आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी के बारे में यह समझा जायेगा कि उन्होंने अवशेष आधार या आधारों के निर्देश से उस धारा में यथा उपबन्धित रूप से सन्तुष्ट हो जाने पर उक्त धारा के अधीन निरोध का आदेश दिया था।

6. कुछ आधारों पर निरोधादेश अप्रवर्तनीय या अवैध नहीं होगा—कोई निरोधादेश केवल इन आधारों पर अवैध या अप्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा—

(क) कि वह व्यक्ति सरकार या आदेश बनाने वाले अधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता की सीमाओं के बाहर निरुद्ध किया गया है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति के निरुद्ध करने का स्थान बनाई गई सीमाओं के बाहर है।

7. फरार व्यक्ति के सम्बन्ध में शक्तियाँ—(1) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या धारा 3 की उपधारा (3) में वर्णित अधिकारी, यथास्थिति के पास विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में निरुद्ध आदेश बनाया गया है; भाग गया है, या अपने को छिपा रहा है, जिससे कि आदेश का पालन नहीं किया जा सके, तो सरकार या अधिकारी—

(क) इस तथ्य की लिखित रिपोर्ट महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जिसके कि क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का सामान्य निवास-स्थान है, सूचना देगा;

(ख) राजकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर निर्देशित करेगा कि वह व्यक्ति निश्चित स्थान पर और निश्चित समय में, जैसा कि आदेश में निदेशित हो, प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट किए जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82, 83, 84 एवं 85 के उपबन्ध उस व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया निरोधादेश जारी किया गया वारण्ट हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड (ख) का पालन करने में असफल होता है, जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि जिसके लिये उनका पालन करना सम्भव नहीं था और आदेश में उल्लिखित अवधि में वह कहाँ था और उन सब कारणों सहित जिसके कारण उनका पालन सम्भव न था और उसका पता, ठिकाना व आदेश में बताये अधिकारी को सूचित करे, वह कारावास के दण्ड से जिसकी अवधि एक वर्ष तक अथवा जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी वर्णित होने पर उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

8. आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना—(1) जब एक व्यक्ति निरोध के आदेश के पालन पर निरुद्ध किया गया हो, आदेश बनाने वाले प्राधिकारी यथाशीघ्र लेकिन साधारणतः निरोध के दिनांक से पाँच दिन बाद नहीं और असाधारण स्थिति में जिसके कि कारण लिखित में उल्लिखित हों पन्द्रह दिन के बाद नहीं, वे आधार उसे बतायेगा जिन पर वह आदेश बनाया गया हो और आदेश के विरुद्ध उसे उपयुक्त सरकार को आवेदन देने का उसे शीघ्र अवसर देगा।

(2) यदि अधिकारी उपधारा (1) के अन्तर्गत तथ्यों को बताना सार्वजनिक हित के विरुद्ध समझता है तो वह तथ्य प्रकट नहीं करेगा।

टिप्पणी—निरोध के आधार में वे तथ्य भी शामिल हैं, जिन पर निष्कर्ष निकाला जाता है—*धनंजय दास बनाम जिला मजिस्ट्रेट* ए०आई०आर० 1982 एस०सी० 1315।

9. सलाहकार बोर्ड का गठन—(1) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार जब आवश्यक समझे इस अधिनियम के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी।

(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य हों या रह चुके हों और ऐसे व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी और केन्द्रीय क्षेत्र की दशा में किसी व्यक्ति की सलाहकार मण्डल में नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, सम्बन्धित राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से होगी।

10. सलाहकार बोर्ड को निर्देश—इस अधिनियम में स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकरण में जहाँ कि इस अधिनियम के अधीन निरोधादेश बनाया गया है उपयुक्त सरकार, आदेश के अधीन व्यक्ति को निरोध के दिनांक से तीन सप्ताह के अन्दर वह आधार जिस पर कि आदेश बनाया गया है एवं अभ्यावेदन यदि कोई, आदेश से प्रभावित, व्यक्ति द्वारा किया गया हो तो, एवं उस व्यवस्था में जबकि निरोधादेश एक अधिकारी द्वारा धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बनाया गया है एवं वह रिपोर्ट जो कि उसी धारा की उपधारा (4) के अन्तर्गत रिपोर्ट को धारा 9 के अधीन बनाये गये सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

11. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया—(1) सलाहकार बोर्ड उसके समक्ष प्रस्तुत की गई वस्तु सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आवश्यक समझे तो ऐसी वह जानकारी समुचित सरकार से या समुचित सरकार के द्वारा इसके लिये बुलाये गये किसी व्यक्ति से या सम्बन्धित व्यक्ति से बुलायेगी और यदि किसी विशेष प्रकरणों में अत्यन्त आवश्यक समझे या सम्बन्धित व्यक्ति को सुनना चाहे उसको व्यक्तिगत रूप से सुनने के पश्चात् निरोध के दिनांक से 7 सप्ताह के अन्दर समुचित सरकार को सूचना प्रस्तुत करेगा।

(2) सलाहकार बोर्ड की सूचना और उसका मत अलग भाग में उल्लिखित होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति के निरोध के पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

(3) जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तो ऐसे सदस्यों के बहुमत का मत बोर्ड का मत समझा जायेगा।

(4) इस धारा की किसी बात के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके विरुद्ध निरोधादेश बनाया गया है, सलाहकार बोर्ड को निर्देश से सम्बन्धित किसी विषय में किसी विधि व्यवसायी द्वारा उपस्थित होने का अधिकार नहीं होगा और सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी सूचना का यह हिस्सा छोड़कर जिसमें सलाहकार बोर्ड का मत है, गोपनीय रहेगा।

12. सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही—(1) किसी प्रकरण में जब सलाहकार बोर्ड ने सूचना दी हो कि उसके मत में अमुक व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं, समुचित सरकार निरोधादेश की पुष्टि कर सकता है और सम्बन्धित व्यक्ति के निरोध को ऐसे समय के लिये जो उचित समझे, जारी रख सकता है।

(2) किसी भी प्रकरण में जब सलाहकार बोर्ड ने सूचना दी हो कि उसके मत में सम्बन्धित व्यक्ति के निरोध के लिये पर्याप्त कारण नहीं है, समुचित सरकार निरोधादेश को रद्द करेगी और वह व्यक्ति तत्काल छोड़ दिया जायेगा।

टिप्पणी—एक दोषपूर्ण आधार सम्पूर्ण निरोध आदेश को दूषित कर सकता है—*शिव प्रसाद भटनागर बनाम म०प्र० राज्य एवं अन्य* ए०आई०आर० 1981 एस०सी० 870।

13. निरोध की अधिकतम अवधि—कोई निरोधादेश जिसकी धारा 12 के अधीन पुष्टि की गयी है के अनुसार कोई व्यक्ति जो निरुद्ध हुआ है का अधिकतम समय निरोध के दिनांक से बारह माह रहेगा।

परन्तु उपबन्ध यह है कि इस धारा में वर्णित समुचित सरकार किसी भी समय निरोधादेश को रद्द करने या परिवर्तन करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी।

14. निरोधादेश को रद्द करना—(1) जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1897 की धारा 21 के उपबन्ध को हानि पहुँचाये बिना निरोधादेश किसी भी समय परिवर्तित या रद्द किया जा सकेगा—

(क) भले ही वह आदेश धारा तीन की उपधारा (3) में वर्णित राज्य सरकार द्वारा जिसका कि वह अधिकारी अधीनस्थ है या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया हो;

(ख) भले ही वह आदेश राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा;

(2) एक निरोध आदेश का वापस लेना या अवसान होना (एतद्पश्चात् इस उपधारा में पूर्ववर्ती निरोध आदेश के रूप में निर्दिष्ट) चाहे ऐसा पूर्ववर्ती निरोध आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो। उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन दूसरा निरोध आदेश (एतद्पश्चात् इस उपधारा में पश्चात्वर्ती निरोध आदेश के रूप में निर्दिष्ट) दिया जाना वर्जित नहीं करेगा:

परन्तु उस दशा में जहाँ कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिये गये पूर्ववर्ती निरोध आदेश की वापसी या अवसान के पश्चात् कोई नवीन तथ्य उत्पन्न न हुए हों, तो वह अधिकतम कालावधि जिनके लिए ऐसा व्यक्ति पश्चात्वर्ती निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सके, किसी भी दशा में, पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अधीन निरोध की तारीख से बारह मासों की कालावधि के अवसान के आगे तक की नहीं हो सकेगी।

15. निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति—(1) समुचित सरकार किसी भी समय निर्देश कर सकती है कि कोई व्यक्ति जो निरोधादेश के पालन में निरुद्ध है निर्देशित समय निर्देशों में बताये गये प्रतिबन्धों के साथ जो उस व्यक्ति को स्वीकृत हो, या बिना प्रतिबन्ध के मुक्त कर दिया जा सकता है और किसी भी समय उसकी मुक्ति निरस्त की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को मुक्त करने के निर्देश में, समुचित सरकार निर्देश में उल्लिखित प्रतिबन्ध के उचित पालन के लिये प्रतिभूति या बिना प्रतिभूति के उससे प्रतिज्ञा-पत्र ले सकता है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है, आदेश में उल्लिखित उसको मुक्त करने या उसकी मुक्ति निरस्त करने, जैसी भी स्थिति हो, अधिकारी को वह व्यक्ति स्वयं किसी भी समय व स्थान पर समर्पित करेगा।

(4) उपधारा (3) में उल्लिखित तरीके से यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के स्वयं को समर्पित करने में असफल रहता है, तो वह कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक या अर्थ दण्ड के साथ या दोनों होंगे।

(5) उपधारा (1) के अधीन यदि कोई व्यक्ति मुक्त होता है उसके द्वारा दिये गये प्रतिज्ञा-पत्र या किसी प्रतिबन्ध के पालन में असफल रहता है, प्रतिज्ञा-पत्र राज्यसात् घोषित कर दिया जायेगा और व्यक्ति उनके दण्ड के भुगतान के लिये बाध्य होगा।

16. सद्भावना में किये गये कार्य का संरक्षण—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती और इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भाव में किये गये या करने के अभिप्रेत से किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद या अभियोग या कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

16-क. राज्य विधियों में अधीन निरोध होने पर अधिनियम का प्रभावकारी नहीं होना—(1) राज्य विधियों के अन्तर्गत निरोध आदेश बनाये जाने पर यह अधिनियम किसी भी प्रकार से लागू नहीं होगा या किसी प्रकार से प्रभावकारी नहीं होगा जबकि वह विधि इस राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 के जारी होने के पूर्व ही प्रभावशाली नहीं है और तद्नुसार प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसके लिये एक निरोधादेश ऐसे लागू होने के तुरन्त पूर्व प्रभावकारी किसी राज्य विधि के अधीन बनाया गया है ऐसे राज्य विधि के उपबन्धों द्वारा ऐसे निरोध के सम्बन्ध में शासित होगा या जहाँ राज्य विधि जो राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश है (इसके बाद जो राज्य अध्यादेश वर्णित है) के अधीन ऐसे निरोधादेश बनाया और राज्य अध्यादेश प्रतिस्थापित कर दिया गया है—

(i) उसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित, अधिनियमिति के द्वारा ऐसे लागू होने के पूर्व ऐसी किसी अधिनियमिति द्वारा, या

(ii) इस प्रकार प्रभावशील होने के पश्चात्, उसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित एक अधिनियमिति के द्वारा और जिसकी कि प्रभावशीलता ऐसे निरोध आदेश के अधीन अवरुद्ध है जो कि राज्य अध्यादेश के लागू होने के पूर्व बनाये गये हैं। ऐसी अधिनियमिति द्वारा–

मानो कि वह अधिनियमित नहीं किया गया था।

(2) इस खण्ड के उल्लिखित तथ्य धारा 3 के अधीन निरोधादेश ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसका कि उल्लेख उपधारा (1) में किया गया है:

उसके सम्बन्ध में प्रवृत्त निरोधादेश के बाद जैसा कि उपर्युक्त कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 के लागू होने के पूर्व का प्रभाव किन्हीं भी कारणों से प्रभाव समाप्त हो गया है किसी भी प्रकार से रुकावट नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये राज्य विधि से तात्पर्य है कि कोई भी कानून जिसके अन्तर्गत निवारक निरोध एक या समस्त आधारों पर जिसके कि अन्तर्गत निरोध आदेश धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बनाया जा सकता है कि व्यवस्था है और जो कि किसी राज्य में इस अध्यादेश के लागू होने के पूर्व से ही प्रचलित है।

17. निरसन और व्यावृत्ति—(1) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, इस अधिनियम के समान उपबन्धों के अधीन कोई कार्य किया गया या कार्यवाही की गई, ऐसे माने जायेंगे जैसा कि यह अधिनियम 23, सितम्बर 1980 को प्रवृत्त हो गया हो, और, कथित अध्यादेश की धारा 10 के अधीन बनाये कोई विशेष निर्देश, और राष्ट्रपति की स्वीकृति इस अधिनियम के लिये प्राप्त होने के तत्काल पूर्व सलाहकार बोर्ड के समक्ष लम्बित है, उस बोर्ड के समक्ष उस दिनांक के बाद जारी रहेंगे अतः मानो कि वह बोर्ड इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित किये गये हैं।